फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 14/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/18) **श्री भंवर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री हुकमसिंह देवड़ा - वकील अपीलार्थी 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी	

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा का निर्णय दिनांक 28.12.2021, प्रकरण संख्या 08/2021, बउनवानी श्री भंवर बनाम तहसीलदार, कुशलगढ़

निर्णय

दिनांक 13.01.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा का निर्णय दिनांक 28.12.2021, प्रकरण संख्या 08/2021, बउनवानी श्री भंवर बनाम तहसीलदार, कुशलगढ, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री भंवर पिता श्री तोलसिंग भील, निवासी बड़लीपाड़ा ने ग्राम वडलीपाड़ा पटवार मण्डल रामगढ़ की भूमि आराजी संख्या 58 कुल रकबा 1.96 एकड़ किस्म चरागाह में अवैध अतिक्रमण करते हुए 16 गुणा 26 वर्गफीट भूमि पर मकान बना लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कुशलगढ़ द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2020 दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.03.2021 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 50 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया।
- तहसीलदार, कुशलगढ़ के निर्णय दिनांक 22.03.2021 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, बांसवाड़ा समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 28.12.2021 पारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष अन्दर मयाद अपील दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दिनांक 22.03.2022 दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसके तहसीलदार कुशलगढ़ द्वारा पारित आदेश की जानकारी रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08.06.2021 से प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने की दाद चाही परन्तु अति.जिला कलक्टर द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने का कथन करते हुए अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहना बताकर अपील खारिज कर दी जो न्यायसंगत नहीं था। अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय सेटलमेंट पूर्व से उक्त आराजी की आंशिक भूमि पर काबिज था, इसके संबंध में अपीलार्थी के पास ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध थे, परन्तु अवसर नहीं मिल पाने से वह अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। उक्त भूमि पर विगत 40 वर्षों से अधिक समय से मकान बना है, वर्ष 1991 से तो लगातार स्वयं तहसीलदार द्वारा लगान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 14/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/18) **श्री भंवर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राशि की दर से शास्ति वसूल की गई जो उनके दस्तावेजों से प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 30 वर्ष से अधिक कब्जा साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा 32 लोगों की फहरिश्त प्रस्तुत की गई, जिनके मकान अपीलार्थी के आसपास बने हुए है, परन्तु तहसीलदार द्वारा पीक एवं चुज के आधार पर अपीलार्थी के एक ही परिवर के पांच सदस्यों को इस प्रकार के सूचना पत्र जारी कर कार्यावाहियां प्रस्तावित की गई जो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। उक्त भूमि पंचायत के स्वामित्वधारी की है, जहां तहसीलदार को कार्यवाही का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि कभी भी चरागाह के रूप में उपयोग में नहीं लाई गई है, न ही यहा चारा पैदा होता है। वर्तमान में भूमि आबादी होकर इसी रूप में काम आ रही है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गौर नहीं किया गया। अपीलान्ट का कब्जा सेंटलमेंट पूर्व ही चला आ रहा है, जिस बाबत प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के भारी भूल की है, जो काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है, जिससे वह नियमन की पात्रता नहीं रखता है। अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों में अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री भंवर पिता श्री तोलसिंग भील, निवासी बड़लीपाड़ा ने ग्राम वडलीपाड़ा पटवार मण्डल रामगढ़ की भूमि आराजी संख्या 58 कुल रकबा 1.96 एकड़ किस्म चरागाह में अवैध अतिक्रमण करते हुए 16 गुणा 26 वर्गफीट भूमि पर मकान बना लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कुशलगढ़ द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2020 दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.03.2021 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 50 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका 40 से पूर्व का कब्जा है, जिससे विवादित भूमि का नियमन किया जावें। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो अपीलार्थी के 40 पूर्व से लगातार कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु ही किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में यह स्थिति भी स्पष्ट है कि पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि राजस्व ग्राम वडलीपाड़ा की खाता संख्या 11 रकबा 4.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 14/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/18) **श्री भंवर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1724 हैक्टेयर तोलसिंग पुत्र पीथा की संयुक्त खातेदारी पेतृक कृषि भूमि दर्ज रेकर्ड है, उक्त भूमि में अपीलार्थी का 1/6 भाग नोशनल हिस्सा के रूप में निहित है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधनित है। इस बेदखली के कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत की दाद का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 के साथ वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके जो पूर्व से ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है और उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार विश्लेषण किया जाना जाहिर होता है। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

विवादित भूमि चारागाह भूमि होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 एवं तहसीलदार, कुशलगढ़ का निर्णय दिनांक 22.03.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर